न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई

(पीठासीन अधिकारी– नीरज कुमार मीना, आर.ए.एस)

वाद संख्या – 78/2012
किस्म मुकदमा– दावा
तारीख निर्णय – 19.02.19

1. हरभान पुत्र रामहंस जाति गुर्जर निवासी नगला पहाड़ खां तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.
2. विज्जो पुत्र रामहंस जाति गुर्जर निवासी नगला पहाड़ खां तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.
3. मुशी पुत्र रामहंस जाति गुर्जर निवासी नगला पहाड़ खां तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.
4. दीमान पुत्री रामहंस जाति गुर्जर निवासी नगला पहाड़ खां तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.
5. लच्छो पुत्री रामहंस जाति गुर्जर निवासी नगला पहाड़ खां तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.

– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

– प्रतिवादी

उपस्थितः– 1. श्री अशोक कुमार एण्ड़
2. पैरोकार सरकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर. टी. ए.

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बरान् 33 रकवा 0.01, 34 रकवा 0.96, 250 रकवा 0.43, किता 3 कुल रकवा 1.40 हैक्ट. वाके ग्राम नगला पहाड़ खां पर सम्पूर्ण हिस्से के व खाता स. 62 के खसरा न. 38 रकवा 1.14 , 41 रकवा 0.33, 175 रकवा 0.26, 185 रकवा 0.34, 246 रकवा 0.57 कुल किता 5 कुल रकवा 2.64 हैक्टऋ के 1/3 हिस्से के गैर खातेदार काश्तकार है। जिसके हाल आराजी ख.न. 38,41,175,185,246,33,34,250, नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2060 से साबिक ख.न. 31,33,139,152,192,28,196, से पहले से बने है। तथा नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2028 से पहले खसरा नम्बरान के साबिक खसरा नम्बर 29,31,134,142,163,26,167 से बने है। साबिक ख0न0 29,31,134,142,163,26,167 के सवत 2011 से वादीगण के पिता रामहंस पुत्र कजौड़ी जाति गुर्जर निवासी नगला पहाड़ खां तहसील नदबई खातेदार काश्तकार था। संवत 2011 से आज तक वादीगण के पिता एवं वादीगण के बाबा कजौड़ी व पिता की

मृत्यु के बाद वादीगण काबिज होकर आज तक खातेदार की हैसियत से काश्त करते चले आ रहे है। जेकिन रेवेन्यु रिकार्ड में गैर खातेदार के इन्द्राज चले आ रहे है। संवत 2011 से वादीगण के बाबा व बाबा की मृत्यु के बाद वादीगण के पिता व पिता की मृत्यु से वादीगण स्वयं के नाम विरासत गैर खातेदारी के अंकन चले आ रहे है। तथा विवादित आराजी से वादीगण को आज तक बेदखल भी नही किया गया है। इसलिए वादीगण का कानून विवादित आराजी पर खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो चुके है। परन्तु राजस्व कर्मचारियो की गलती से वर्तमान में विवादित आराजी पर गैर खातेदार के अंकन हो रहा है। अतः वादीगण विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है। तथा राजस्व रिकार्ड में हो रहे गैर खातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन कर खातेदारी के इन्द्राजात करा पने के अधिकारी है। वादीगण विवादित अराजी पर रिकार्ड में गलत तरीके से गैर खातेदारी के इन्द्राजत होने के कारण प्रतिवादी व कर्मचारियो हल्का पटवारी ने हम वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल कर दिनांक 03.05.12 को कब्जे राज लेने की धमकी दी है। यदि प्रतिवादी उक्त धमकी में कामयाब हो गया तो हम वादीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद ना हो सकेगी अतः हम वादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई दावामी की डिकी सेपाबन्द कराने के अधिकारी है।

अत प्रार्थना कि विवादित आराजी पर वादीगण के नाम होरहे गैर खातेदार के इन्द्राजात को कलमजन कर खातेदारी के इन्द्राजत दर्ज किया जावें। तथा वादीगण को विवादित आराजी का खातेदारकाश्तकार घोषित किया जावें।

दावा दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलव किये गये। प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार उपस्थित हुऐ । तथा अपना जबाब दावा पेश किया गया। तथा अपने जबाब मेंकहा कि विवादित अराजी कस्टोडियन भूमि है। लोकल काश्तकार कस्टोडियन भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज है। विवादति भूमि का आंवटन नही हुआ है। दावा खारिजी के है। वादीगण के दावा एवं प्रतिवादीगण के जबाब के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गई जो निम्नुसार है।

1. तनकी स. 1 आया विवादित अराजी वादीगण गैर खातेदारी से खातेदारी करा पाने के अधिकारी है। — जिम्मेवादीगण
2. तनकी स. 2 आया वादीगण प्रति0 को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी की डिकी से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है। — जिम्मेवादीगण
3. तनकी स. 3 आया भूमि कस्टोडियन है व आवंटन नही है अतः दावा काबिज खारिजी के है। — जिम्मे प्रतिवादी

वादी द्वारा आपने वाद पत्र के समर्थन मे नकल जमाबन्दी सवत हाल 2066–69 वाके ग्राम नगला पहाड़ खां, नकल मिलान क्षेत्रफल सवत 2060 वाके नगला पहाड़ खां , नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2028 वाके ग्राम नगला पहाड़ खां, नकल जमाबन्दी सवत खतौनी) 2053 लगायत 2056 वाके ग्राम नगला पहाड़ खां पेश कि एव मौखिक बयान के रूप मे मुंशी पुत्र रामहंस जाति गुर्जर निवासी नगला पहाड़ खां तह0 नदबई के ब्यान पेश किये गये।

प्रतिवादी की और से कोई भी मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये गये। और नही जिरय की गई। साक्ष्यप्रतिवादी बंन्द कर पत्रवाली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस सुनी गई सुनी गई। हमने बहस पर ममन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया । निर्णय तनकीवार निम्न प्रकार है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तनकी स. 1 :– आया विवादित अराजी वादीगण गैर खातेदारी से खातेदारी करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने भार वादीगण का था वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंन्दी संवत हाल 2066–69 वाके ग्राम नगला पहाड़ खां, पर खाता स. 32 के खसरा न. 33 ,34, 250, पर सम्पूर्ण हिस्से के तथा खाता स. 62 के ख.न. 38, 41, 175, 185, 246 पर 1/3 हिस्से के गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। तथा नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 एवं 2060 वाके नगला पहाड़ खां पर गत खसरा एवं हाल खसरा नम्बरान का मिलान होता है। , एवं जमाबन्दी सवत खतौनी) 2053 लगायत 2056 वाके ग्राम नगला पहाड़ खां पेश किहै जिसमें रघुनाथ पुत्र कजौडी कौ गुर्जर सा. देह गैर खातेदार सम्पूर्ण पर दर्ज है तथा रघुनाथ 1/3 ,रामहंस 1/3 पि. कजौडी की खातेदारी दर्ज है। तथा संवत 2011 सं वादीगण के पिता रामहंस पुत्र कजौड़ी खातेदार था। तथा संवत 2011 से आज तक ववादीगण के पिता एवं वादीगण के बाबा कजौड़ी व पिता की मृत्यु के बाद वादीगण स्वंय के नाम विरासतन गैर खातेदारी के अंकन चले आ रहें है। तथा काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। और विवादित आराजी से प्रतिवादी ने आज तक बेदखल भी नही किया गया है। एव मौखिक बयान के रूप मे मुंशी पुत्र रामहंस जाति गुर्जर निवासी नगला पहाड़ खां तह0 नदबई के ब्यान से भी स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है। उक्त तनकी के विरोध में प्रतिवादी द्वारा कोई भी दास्तावेजी साक्ष्य एवं मोखिक साक्ष्यपेश नही किया गया। अतः उक्त तनकी वादीगण के हम में एवं प्रतिवादी के खिलाफ तय की जाती है।

तनकी स. 2 :– आया वादीगण प्रति0 को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी की डिकी से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण का था। जो तनकी स. 1 के निर्णय से सिद्ध कर दिया गया है। इसलिए उक्त तनकी भी वादीगण के हक में एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ तय की जाती है।

तनकी स. 3 :– आया भूमि कस्टोडियन है व आवंटन नही है अतः दावा काबिज खारिजी के है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का था प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य रिकार्ड एवं मौखिक साक्ष्य पेश नही किये गये जिससे कि सिद्ध होती हो अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के खिलाफ तय कि जाती है।

इस प्रकार तनकीवार निर्णय वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित है। अतः दावा वादी इस कदर डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी खाता स. 32 के खसरा न. 33 रकवा 0.01, 34 रकवा 0.96, 250 रकवा 0.43, किता 3 कुल रकवा 1.40 हैक्ट.सम्पूर्ण हिस्से के एवं खाता स. 62 के खसरा न. 38 रकवा 1.14,41 रकवा 0.33, 175 रकवा 0.26, 185 रकवा 0.34 , 246 रकवा 0.57 कुल किता 5 कुल रकवा 2.64 हैक्ट. के 1/3 हिस्से के गैर खातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नीरज कुमार मीना)
उपखण्ड़ अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official